

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-24/2016-69 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमुर (भभुआ)/गया/अरवल /जहानाबाद/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण /प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर /वैशाली/ दरभंगा/मधुबनी /समस्तीपुर /बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया /कटिहार/खगड़िया।

विषय :

कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रु० (एक अरब पचहत्तर करोड़ रु०) मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3500.00 लाख रु० (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹34,99,99,200 (चौतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3221 दिनांक-22.07.2016 द्वारा कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रु० (एक अरब पचहत्तर करोड़ रु०) मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3500.00 लाख रु० (पैंतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹34,99,99,200 (चौतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹34,99,99,200 (चौतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0120-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाईजेशन विपत्र कोड-P2401007890120, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5025 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

69 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

[Handwritten Signature]

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

69 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

69 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 03-08-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

वि यांत्रीकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से कर्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के तत्पर विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3221 दिनांक-22.07.2016 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890120

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	1,36,41,200	1,36,41,200
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	1,02,61,800	1,02,61,800
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	93,96,400	93,96,400
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	58,52,200	58,52,200
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	1,01,38,200	1,01,38,200
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	62,23,000	62,23,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	1,36,82,400	1,36,82,400
8	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	28,02,400	28,02,400
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	38,32,800	38,32,800
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	77,06,800	77,06,800
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	83,66,200	83,66,200
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	1,36,00,000	1,36,00,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	1,20,75,200	1,20,75,200
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	96,43,600	96,43,600
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	1,59,49,200	1,59,49,200
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	1,68,97,000	1,68,97,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	1,29,81,800	1,29,81,800
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	1,12,51,000	1,12,51,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	21,84,200	21,84,200
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	1,19,51,600	1,19,51,600
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	1,36,00,000	1,36,00,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	1,64,43,800	1,64,43,800
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	1,57,02,000	1,57,02,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	1,05,91,600	1,05,91,600
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	41,62,400	41,62,400
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	32,97,000	32,97,000
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	22,25,400	22,25,400
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	63,05,400	63,05,400
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	99,73,400	99,73,400
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	76,24,200	76,24,200
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	63,05,400	63,05,400
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	74,59,400	74,59,400
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	70,06,000	70,06,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	1,03,44,200	1,03,44,200
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	51,92,800	51,92,800
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	89,84,200	89,84,200
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	98,08,600	98,08,600
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	53,16,400	53,16,400
39	उप निदेशक (शष्प) सूचना बिहार, पटना।	1,00,000	1,00,000
40	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	11,20,000	11,20,000
	कुल	34,99,99,200	34,99,99,200

कुल- (चौतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ रु०) मात्र।


 (प्रमु राशि)
 निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।